<u>न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर</u>

<u>पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰</u>

<u>प्रकरण संख्या 03/2024 (बांसवाड़ा डिक्री)</u>

1. महीपालसिंह पिता स्वर्गीय उदयसिंह जाति राजपूत, निवासी घलकीया, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. पृथ्वीसिंह पिता स्वर्गीय उदयसिंह जाति राजपूत, निवासी घलकीया, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. श्रीमती सोहरत कुंवर पत्नी स्वर्गीय उदयसिंह जाति राजपूत, निवासी घलकीया, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

.... अपीलान्टगण

<u>बनाम</u>

1. प्रवीणसिंह पिता भारतसिंह जाति राजपूत, निवासी घलकीया, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. करमिंदर सिंह पिता बलवीरसिंह बेदवान, जाति जट सिक्ख, निवासी कॉलेज रोड़, बांसवाड़ा (राज.)
3. तन्मय पिता रमेशचन्द्र पाठक, जाति ब्राहमण, निवासी मोहन कॉलोनी, बांसवाड़ा (राज.)
4. रामकिशोर पिता गोपालदास गर्ग, जाति अग्रवाल, निवासी रातीतलाई, शिव–मार्ग, बांसवाड़ा (राज.)
5. तहसीलदार, तहसील कार्यालय, बांसवाड़ा (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा– 223 राजस्थान
का॰ अ॰ 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री
उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा दिनांक
13.02.2024 प्रकरण संख्या 16/2018

–––/–––

<u>उपस्थित</u> :– 1– श्री महेन्द्रसिंह राणा अभिभाषक अपीलान्टगण

2– श्री हीरालाल जैन अभिभाषक रेस्पो. सं. 2, 3

–––::–––

<u>निर्णय</u> <u>दिनांक 27–06–2024</u>

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक वाद बावत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:43:20 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के स्वामित्व, आधिपत्य की संयुक्त शामलाती कृषि सर्वे नंबर 998/491 रकबा 50 बीघा भूमि ग्राम घलकीया में स्थित है, जिस पर वादीगण अपने पिता व दादा के समय से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। वादीगण की उक्त आराजियात के पूर्वी दिशा में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की सर्वे नंबर 491/2 रकबा 9 बीघा 2 बिस्वा की गलत तरमीम कर दी गयी है, जबकि वादीगण के सर्वे नंबर 998/491 की कृषि भूमि के पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की सर्वे नंबर 491/2 आती है। दोनों नंबर मौके पर अलग–अलग हैं। प्रतिवादीगण ने वादी की जानकारी के बिना आप न्यायालय में धारा 136 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 16–05–2018 को मौके की स्थिति के विपरीत पूर्व जारी नक्शे दिनांक 23–02–1973, 22–04–1979, 17–07–1992 के विपरीत गलत तरमीम बाले–बाले करा ली है और सर्वे नंबर 491/2 रकबा 9 बीघा 2 बिस्वा का आंशिक भाग रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा गैर कानूनी तरीके से वादीगण के खाते एवं कब्जे के सर्वे नंबर 998/491 रकबा 50 बीघा के राजस्व नक्शे में दर्शा दिया है तथा वादीगण के सर्वे नंबर 998/491 की भूमि में प्रतिवादीगण के खसरा नंबर 491/2 रकबा 9 बीघा 2 बिस्वा में से 4 बीघा 3 बिस्वा होना गलत बता दिया है और लाल स्याही से वादीगण के खेत में गलत तरीके से प्रतिवादीगण के खसरा नंबर 491/2 की भूमि होना सरकारी नक्शे में गलत तरमीम कर दिया गया है, जबकि वादीगण के खेते के राजस्व नक्शे में प्रतिवादीगण के खेत की तरमीम कानूनन नहीं की जा सकती। उक्त गलत तरमीम के कारण प्रतिवादीगण वादीगण की भूमि हड़पना चाहते हैं। अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 13–02–2024 वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 22–03–2024 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री हीरालाल जैन उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अपीलान्ट का वाद आदेश 26 नियम 9 सी.पी.सी. के जवाब/समझौता वादीगण के साक्ष्य में नियत था, किन्तु

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:43:20 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 4 द्वारा दिनांक 15–01–2024 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के आधार पर वाद खारिज कर दिया, जो विधिक प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है। रेस्पोन्डेन्ट/प्रतिवादी संख्या 2 से 4 द्वारा दिनांक 06–03–2019 को अपना लिखित जवाबदावा प्रस्तुत किया गया उसके करीब 5 वर्ष बाद दिनांक 15–01–2024 आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। पत्रावली आदेश 26 नियम 9 सी.पी.सी. के जवाब/बहस व वादी की साक्ष्य हेतु नियत होने के बावजूद अधिनस्थ न्यायालय ने बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये अपीलान्ट वादीगण को सुने बिना ही उनका वाद खारिज कर दिया, जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे तथा अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्टगण द्वारा चाहा गया अनुतोष दिलाया जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने उक्त बहस का जवाब देते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण पर उपलब्ध साक्ष्यों के अनुरूप ही निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा ने अपने आदेश क्रमांक 1626–27 दिनांक 16–05–2018 द्वारा विवादित आराजी नंबर 491/2 के संबंध में तरमीम शुद्धि ट्रेस अनुसार तरमीम शुद्धि किये जाने के आदेश दिये हैं, ऐसी स्थिति में पुनः उसी न्यायलय में उसी धारा में वाद चलने योग्य नहीं होने से अधिनस्थ न्यायालय ने नक्शे में शुद्धि का वाद पूर्व में निर्णित हो जाने के आधार पर अपीलान्ट/वादीगण का वाद खारिज किया है, जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 13–02–2024 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 27–06–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:43:20 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**प्रदीपसिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰** .....

महिपालसिंह पिता स्व. उदयसिंह जी, जाति राजपूत, निवासी घलकिया, तहसील व जिला बांसवाड़ा व अन्य	बनाम	**प्रवीणसिंह पिता भारतसिंह जी, जाति राजपूत, निवासी घलकिया, तहसील व जिला बांसवाड़ा व अन्य**

अपील नं॰.....**03 / 2024**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**बांसवाड़ा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**13**.....माह.....**02**.....**2024**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**27**....माह.....**06**....सन् **2024** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री महेन्द्र सिंह राणा**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री हीरालाल जैन**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 13–02–2024 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....)..... रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**27**.....माह.....**06**.....**2024** को जारी किया गया।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:43:20 IST
Reason: SelfAttested